हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 19 अप्रैल 2026, समय 13.05 (5 मिनट)

==========

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और इसके गठबंधन सहयोगियों ने महिला आरक्षण का विरोध करके जो पाप किया है, उसका दंड उन्हें अवश्य ही मिलेगा। विपक्ष ने संसद और राज्य विधानसभाओं में नारी शक्ति वंदन संशोधन का विरोध किया और उसे पास नहीं होने दिया।

कल शाम राष्ट्र के नाम अपने संबोधन ने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार महिला आरक्षण के रास्ते में आने वाली हर बाधा को दूर करेगी। जो दल महिला आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वे देश की महिलाओं की संसद और राज्य विधानसभाओं में बढ़ती भागीदारी को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि देश की समस्त नारी शक्ति का आशीर्वाद उनकी सरकार के साथ है।

संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन का जिन दलों ने विरोध किया है, उनसे मैं दो-टूक कहूंगा ये लोग नारी शक्ति को फोर-ग्रांटेड ले रहे हैं। इसलिए महिला आरक्षण विरोध करके जो पाप विपक्ष ने किया है इसकी उन्हें सजा जरूरी मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में राष्ट्रहित को सर्वोपरि बताया और कहा कि सरकार के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बावजूद नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन से जुड़ा विधेयक लोकसभा में पारित नहीं हो सका, जिसके लिए वह सभी माताओं और बहनों से क्षमा मांगते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वंशवादी दलों का डर ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम के विरोध का मुख्य कारण है।

उन्होंने इस व्यवहार को महिलाओं की गरिमा और आत्मसम्मान पर आघात बताया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नारी शक्ति वंदन संशोधन समय की मांग है और यह उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सहित सभी क्षेत्रों में संतुलित सशक्तिकरण सुनिश्चित करने का एक प्रयास था।

सदन में नारी शक्ति वंदन संशोधन किसी से भी कुछ छीनने का नहीं था। नारी शक्ति वंदन संशोधन हर किसी को कुछ न कुछ देने का था। ये चालीस साल से लटके हुए नारी के हक को 2029 के अगले लोकसभा चुनाव से उसका हक देने का संशोधन था। नारी शक्ति वंदन संशोधन 21वीं सदी के भारत की नारी को नये अवसर देने, नई उड़ान देने उसके सामने से बाधाएं हटाने का महायज्ञन था।

श्री मोदी ने कहा कि इस विधेयक का विरोध करके कांग्रेस ने खुद को सुधार-विरोधी दल साबित कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से हर सुधार पर निष्क्रिय रुख अपनाती रही है और उनकी कार्य संस्कृति में विलंब करना, ध्यान भटकाना और बाधा डालना शामिल है।

आज भगवान परशुराम की जयंती पूरी श्रद्धा से मनाई जा रही है।
इस अवसर पर कुरुक्षेत्र में रेलवे रोड पर भगवान परशुराम चौक पर थानेसर से मौजूदा विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने भगवान परशुराम के चरणों में नमन किया और कहा कि भगवान परशुराम पापियों का अंत करने के लिए इस सृष्टि में आए थे और उन्होंने पाप का अंत किया। विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि भगवान परशुराम ने हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सीख दी। हमें उन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए अपने देश को आगे ब□ाना चाहिए।

पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 5 विधायकों को निलंबत किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इन विधायकों में हिम्मत है तो इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ें।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। एक सवाल के जवाब में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी, नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर लड़ेगी।

एक दिन पहले हिसार में जेजेपी नेता व पूर्व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ हुए विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री सीधा जवाब देने से बचे। हालांकि उन्होंने कहा कि जेजेपी और इनेलो, बीजेपी की बी टीम हैं।

हरियाणा के किसान अब अपने खेतों में खड़े कृषिवानिकी प्रजातियों के पेड़ों, जैसे यूकेलिप्टस, पॉपलर आदि को हरियाणा वन विकास निगम के ई-नीलामी पोर्टल के माध्यम से बेच सकेंगे, जिससे उन्हें बिचौलियों से अधिक कीमत मिल सकेगी।

राज्य के किसानों के हित में यह निर्णय हरियाणा वन विकास निगम के निदेशक मंडल की 146वीं बैठक में लिया गया। बैठक की अध्यक्षता वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं निगम के अध्यक्ष सुधीर राजपाल ने की।

बैठक के दौरान प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध निदेशक के.सी. मीणा ने यह प्रस्ताव रखा। योजना के अनुसार, जो किसान इस ई-नीलामी पोर्टल का उपयोग करना चाहते हैं, वे संबंधित महाप्रबंधक को आवेदन देंगे। इसके बाद निगम के फील्ड कार्यालय खड़े पेड़ों का आंकलन और मार्किंग करेंगे तथा उनके परिमाण के आधार पर एक आरक्षित मूल्य तय किया जाएगा। किसान चाहें तो अपना आरक्षित मूल्य स्वयं भी निर्धारित कर सकते हैं।

नीलामी में प्राप्त बोली की जानकारी किसान को दी जाएगी, और यदि किसान उस मूल्य से सहमत होता है, तो हरियाणा वन विकास निगम कुल नीलामी मूल्य का मात्र 5 प्रतिशत सेवा शुल्क लेगा और शेष राशि सीधे किसान के खाते में ऑनलाइन जमा कर दी जाएगी। यह योजना संस्थानों के लिए भी खुली होगी, लेकिन संस्थानों से 10 प्रतिशत सेवा शुल्क लिया जाएगा।